अनु० - 5

(प्रारूप)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना।

।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या–3/विविध- 10113/2013 दिनांक-......................

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शोध संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तो के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में शोध संवर्ग के कर्मचारियों/पदाधिकारियों तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ ।– इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–

(i) "शोध संवर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मचारियों/पदाधिकारियों का शोध संवर्ग;

(ii) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(iii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(iv) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली, 2016;

(v) "कर्मी" से अभिप्रेत है राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शोध संवर्ग के शोध सहायक (रसायनज्ञ, वैज्ञानिक सहायक, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, माइक्रोबायोलोजिस्ट), सहायक शोध पदाधिकारी, शोध पदाधिकारी, उपनिदेशक (शोध)।

(vi) "संवर्ग बल" से अभिप्रेत है संवर्ग के कुल कर्मियों की संख्या;

(vii) "विभाग" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(viii) "आयोग" से अभिप्रेत है यथा स्थिति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. संवर्ग की संरचना।– यह संवर्ग राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा।

4. पद की संरचना, वेतनमान तथा कोटि।– (1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शोध कर्मियों की वर्त्तमान संरचना नीचे दिए गए वर्गीकरण के अनुसार होगी तथा संवर्ग के विभिन्न कोटि के पद तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नवत् होंगे:–

क्र0	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन विद्यमान पद	परिवर्तित पदनाम	कोटि	राजपत्रित/अराजपत्रित	नियुक्ति प्राधिकार
1	रसायनज्ञ/वैज्ञानिक सहायक/सहायक अनुसंधान पदाधिकारी/सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक (माइक्रोबायोलोजिस्ट)	शोध सहायक	श्रेणी 'ग'	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/सचिव,लो स्वास्थ्य अभियंत्रण वि
2	कनीय अनुसंधान पदाधिकारी/अनुसंधान पदाधिकारी	सहायक शोध पदाधिकारी	श्रेणी 'ग'	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/सचिव,लो स्वास्थ्य अभियंत्रण वि
3	वरीय अनुसंधान पदाधिकारी	शोध पदाधिकारी	श्रेणी 'ख'	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल
4		उप निदेशक (शोध)	श्रेणी 'ख'	राजपत्रित	बिहार राज्यपाल

(2) शोध सहायक, सहायक शोध पदाधिकारी, शोध पदाधिकारी एवं उप निदेशक (शोध) को वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपर्युक्त पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

5. पदों की संख्या।– इस संवर्ग के अधीन उपर्युक्त नियम–4 में दर्शाये गये विभिन्न कोटि के पदों की संख्या वही होगी जो समय–समय पर विभाग द्वारा अवधारित की जाय।

6. नियुक्ति के लिए श्रोत एवं अर्हता।– प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल तक विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति से भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा विनिश्चित की जायगी तथा जिन मामलों में बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति की जानी हो, उनके संबंध में क्रमशः उक्त आयोगों को 30 अप्रैल तक विभाग द्वारा अधियाचना भेज दी जायगी।

7. उम्र–सीमा।– भर्त्ती हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो बिहार सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

8. **नियुक्ति की प्रक्रिया– (1) शोध सहायक।**– (i) शोध सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता रसायन शास्त्र/भौतिकी विज्ञान/गणित/जीव विज्ञान (बायोलोजी) /सुक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो बायोलोजी) के साथ स्नातक उत्तीर्णता होगी।

(ii) शोध सहायक के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद को सीधी भर्त्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पर विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक के पदधारकों के बीच से प्रोन्नति द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iii) वैसे स्नातक योग्यताधारी प्रयोगशाला सहायक, जो 10 वर्षो की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तथा प्रोन्नति के लिए अन्य सभी अर्हताएँ पूर्ण करते हों, इस संवर्ग में प्रोन्नत किये जा सकेंगे।

(iv) वैसे प्रयोगशाला सहायक, जो आई०एस०सी० योग्यताधारी हैं तथा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उन्हें प्रोन्नति के अन्य अर्हता पूर्ण करते हों, इस संवर्ग में प्रोन्नत किए जा सकेंगे।

(v) वैसे प्रयोगशाला सहायक जिनकी शैक्षणिक योग्यता आई०एस०सी० से न्यून हैं, वे इस संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।

(vi) शोध सहायक के स्वीकृत पदों पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित स्नातक (विज्ञान) स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जा सकेगी।

(vii) परीक्षा के विषय एवं अंकों का अवधारण विभाग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से किया जा सकेगा।

(2) सहायक शोध पदाधिकारी।– सहायक शोध पदाधिकारी के स्वीकृत् शत–प्रतिशत पदों को शोध सहायकों के बीच से प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा। शोध सहायकों के बीच से सहायक शोध पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति के लिए चयन का आधार वरीयता–सह–योग्यता होगी। साथ ही ऐसी प्रोन्नति, सरकार द्वारा प्रोन्नति हेतु, समय–समय पर, निर्गत परिपत्र/निदेश के अनुसार, दी जाएगी।

(3) शोध पदाधिकारी।– (i) शोध पदाधिकारी के सृजित कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जायेंगे । सीधी भर्त्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इससे संबद्ध संस्थान से रसायन शास्त्र/भूगर्भ शास्त्र/गणित/भौतिक शास्त्र/जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायोलोजी) में स्नातकोत्तर की डिग्री होगी। इस पद पर सीधी भर्त्ती हेतु परीक्षा के विषय एवं अंको का निर्धारण विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से विनिश्चित किया जायगा।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में अलग–अलग प्राप्त अंको के योग के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों में से नियुक्ति की जायगी। उक्त परीक्षा के आधार पर तैयार किये गये पैनल की वैधता की अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी।

(ii) शोध पदाधिकारी के शेष 50 प्रतिशत पद, वैसे सहायक शोध पदाधिकारियों से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा, भरे जायेंगे जो उपर्युक्त उप नियम–3 (i) के अधीन वर्णित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किये हुये हों, तथा राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति के लिए निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के मानदंड को पूर्ण करते हों।

(4) उप निदेशक (शोध)।– उप निदेशक (शोध) के स्वीकृत पद को शोध पदाधिकारियों के बीच से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा।

वैसे पदाधिकारी ही उपर्युक्त पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे जिनकी सेवा संपुष्ट हो तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर, प्रोन्नति हेतु अवधारित कालावधि पूर्ण कर चुके हों।

9. विभागीय प्रोन्नति समिति ।– (1) अराजपत्रित से अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(2) अराजपत्रित से राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति पर विचार किया जायगा।

(3) उप निदेशक (शोध) के पद पर प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/अथवा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति पर विचार किया जायगा।

10. वरीयता।– (1) इस नियमावली के अधीन, इस संवर्ग में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम में विनिश्चित की जाएगी।

(2) इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त कर्मी, उस वर्ष सीधी भर्त्ती से नियुक्त किसी व्यक्ति से वरीय होंगे, भले ही सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गयी हो।

(3) इस संवर्ग के सभी कोटि के कर्मियों की वरीयता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्तर पर, विनिश्चत की जायेगी।

11. परिवीक्षा (प्रोबेशन) एवं प्रशिक्षण।— सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी, पदग्रहण की तिथि से, दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसमें प्रशिक्षण की तीन माह की अवधि भी शामिल होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, इसे दो बार 6 माह अर्थात् अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण विभागीय राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में लेना होगा। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार, संबंधित सरकारी सेवकों/पदाधिकारियों को राज्य के बाहर भी किसी संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकेगा।

12. सम्पुष्टि।— परिवीक्षाधीन कर्मचारी/पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संपुष्ट किये जा सकेंगे :

परन्तु—

(क) परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवा संतोषजनक हो;

(ख) वे इस अवधि में नियम–11 के अधीन विहित अवधि में प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों;

(ग) सभी पदों पर नियुक्त कर्मचारी/पदाधिकारी को सेवा के प्रथम वर्ष में बिहार सरकार के हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । इसके बाद ही वे प्रथम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति से नियुक्त शोध सहायक/माइक्रोबायोलोजिस्ट एवं शोध पदाधिकारी को, सेवा के प्रथम दो वर्षों में हिन्दी एवं विभागीय परीक्षा तथा तीन वर्षों में व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा हिन्दी परीक्षा सेवा के प्रथम वर्ष में ही पास कर लिया जाता है तो हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। द्वितीय वेतन वृद्धि एवं तृतीय वेतन वृद्धि क्रमशः विभागीय परीक्षा एवं व्यवसायिक परीक्षा पास करने पर ही अनुमान्य होगा।

हिन्दी एवं व्यवसायिक परीक्षा का विषय एवं परीक्षा में प्रश्नों का स्तर प्रत्येक कोटि के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अलग–अलग निर्धारित किये जायेंगे।

हिन्दी एवं व्यवसायिक परीक्षा का विषय/अंक विभाग द्वारा नियमावली अधिसूचित होने के तीस दिनों के अन्दर विनिश्चित किया जायगा।

13. **आरक्षण।**– संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

14. इस नियमावली में उपबंधित नियमों को छोड़कर, इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा–शर्त्तें, सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के लिए तत्समय यथा विहित नियम के अधीन, विनियमित की जायेंगी।

15. **कठिनाई का निराकरण।**– यदि सरकार को यह समाधान हो जाए कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा–शर्त्त से संबंधित किसी नियम को किसी विशेष मामले में लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग से परमर्श के पश्चात् उसे दूर कर सकेगी।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–(1) इस संवर्ग के लिए पहले निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एवं अनुदेश इस एतद द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प/परिपत्र एवं अनुदेश के अधीन की गई कार्रवाई विधि– मान्य रहेगी मानो ऐसी कार्रवाई इसी नियमावली के तहत् की गई हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 3/नि०10113/13 948 दिनांक 08/9/16

प्रतिलिपि:– अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव।